Title: Need to action against Somalian Sea-Pirates through international fora.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। भारत की कुल दरियाई सीमा 5700 किलोमीटर के आगे गुजरात 1663 किलोमीटर दरियाई सीमा वाला प्रदेश है। देश के कुल बंदरगाहों में से कंडला जैसे 40 छोटे-बड़े बंदरगाहों से विश्व भर में आयात-निर्यात गुजरात के पश्चिमी दरियाई सीमाओं से होता है। अलंग जैसे विश्व विख्यात बंदरगाह में जहाज तोड़ने का व्यवसाय होता है. गुजरात के साहसिक जहाजी उद्योगपति एवम् साहसी नाविकों द्वारा विश्व के बंदरगाहों तक माल-सामान का आवागमन हो रहा है।

इस व्यवसाय को आज सोमालियाई दरियाई लुटेरों ने खतरे में डाल दिया है। समुद्र में आतंक का साम्राज्य कायम कर चुके सोमालियाई दरियाई लुटेरों ने 129 भारतीय नाविकों एवम् आठ नौकाओं का अपहरण किया है। उनमें से तीन नौकाएं मुक्त कर दी हैं, क्योंकि उनमें कोई ठोस चीज दरियाई लुटेरों को नजर नहीं आई। खास कर दरियाई लुटेरे स्टीमर एवम् बड़े जहाजों को निशाना बनाते रहते हैं। पहली बार उन्होंने छोटी नौकाओं का अपहरण किया है, क्योंकि उन्हीं का इस्तेमाल लूट में किया जाता है। विश्व अन्न कार्यक्रम के तह अनाज का 90 प्रपतिशत दरियाई मार्ग से आता है। जिसे लूटे जाने से अनाज के दाम भी बढ़ गए हैं। सोमालियाई लुटेरे नौका एवम् नाविकों को बंदी बनाकर एवज में अवैध वसूली करते हैं और अपनी शर्तें मनवाते हैं।

इस आतंक से निपटने हेतु विविध देशों ने मिलकर (Combined Task Force-150) एडन के आखात में मरीन सिक्योरिटी पेट्रोल एरिया (MIPA) की रचना की थी। सन् 2008 से भारतीय नौ सेना ने भी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। वे सब कार्यरत हैं, फिर भी लूट होती रहती है।

इन लुटेरों में 20-25 वर्ष के युवा लड़के होते हैं। वे पूर्व सोमालिया के पैन्ट-बेड़ प्रदेश के रहने वाले एवम् आधुनिक शस्त्रों से लैस होते हैं।

गुजरात के वाहन वटी (Shipping) एसोसिएशन ने नौकाएं एवम् नाविकों की रिहाई हेतु आंदोलन शुरू किया है। जब तक मामला निपटेगा नहीं, तब तक माल परिवहन नहीं किया जाएगा। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है और नाविकों में एवम् नौकाओं के मालिकों में दहशत का माहौल बन गया है। गुजरात सरकार एवम् एसोसिएशन केन्द्र से आज भी संपर्कित है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि केन्द्र सरकार उपरोक्त मामले में शीघ्र ही कार्रवाई करे। नौकाएं और नाविकों की सक्षम सुरक्षा के लिए विश्व मंच पर भारत इस समस्या के हल के लिए ठोस कदम उठाए। इस गंभीर समस्या के बारे में आज सदन एवम् सरकार चर्चा, चिंता और चिंतन करे।